न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

अनवान :– प्रार्थना पत्र संख्या 491/2017

1. सुरजा राम पुत्र श्री नत्थू राम जाति कुम्हार साकिन चक 5 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. हंसराज पुत्र श्री नत्थू राम जाति कुम्हार साकिन चक 5 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. बीरबल राम पुत्र नत्थू राम जाति कुम्हार साकिन चक 5 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. नन्दराम पुत्र श्री नत्थू राम जाति कुम्हार साकिन चक 5 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. नेमा देवी पुत्री नत्थू राम जाति कुम्हार साकिन चक 5 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. प्रेम कुमार पुत्र खीवनी देवी पत्नी सहीराम जाति कुम्हार साकिन चक 5 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर
6. मंजू पुत्री खीवनी पत्नी सहीराम जाति कुम्हार साकिन चक 5 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर (राजस्थान)

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर.टी.ए. बाबत रास्ता स्वीकृति

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री ओमप्रकश बतरा अधिवक्ता – – प्रर्थी
2. श्री हरजीत सिंह अधिवक्ता – – अप्रार्थीगण

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 28.11.2017

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी के नाम चक 5 वाई तहसील श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 63 में 25 बीघा है जिसमें मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 1–10–11–20–21 में रास्ता मंजूरशुदा है तथा मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 25 में 16 फीट रास्ता मंजूर होने से प्रार्थी अपने खेत में पहुंच सकता है क्योंकि आगे रास्ता किला नम्बर 5–6–15–16–25 में रास्ता मंजूरशुदा है तथा मुरब्बा नम्बर 50 में किला नम्बर 1–10–11–20–21 में रास्ता मंजूर है।

मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 25 में 16 फीट रास्ता मंजूर होने से प्रार्थी अपने खेत में पहुंच सकता है इसके अलावा प्रार्थी को और कोई रास्ता सुविधा जनक रास्ता नहीं

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

है। उपरोक्त रास्ता के अलावा और कोई रास्ता प्रार्थी को ज़ाने के लिए नहीं है जिसमें प्रार्थी अपने खते में जाने के लिए और कोई रास्ता सुविधा जनक नहीं है तथा प्रार्थी रास्ता की जगह के लिए रकम देने के लिए तैयार है। मंजूर रास्ते के साथ मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 25 में 16 फीट मोड से रास्ता मंजूर करने से प्रार्थी अपने खेत में पहुच सकता है। इसलिए उपरोक्त रास्ता मंजूर किया जाना अति आवश्यक है और कोई रास्ता न होने से प्रार्थी को बहुत ही परेशानी हो रही है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना में में निवेदन किया गया है कि चक 5 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 25 के 16 फीट रास्ता मंजूर किया जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। दिनांक 13.11.2017 को अधिवक्ता श्री हरजीत सिंह अप्रार्थीगण की ओर से वकालतनामा पेश कर हाजिर आये। दिनांक 24.11.2017 को अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार अप्रार्थी सूरजाराम के द्वारा आपकी अदालत में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि चक 5 वाई में प्रार्थी के मुरब्बा नम्बर 63 में जाने के लिए मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 25 में 16 फुट रास्ता स्वीकृत किया जावे। श्रीमान् जी के समक्ष पूर्व में भी पूर्णराम आदि द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) इस अनुतोष के साथ प्रस्तुत किया कि मुरब्बा नम्बर 51 में जाने के लिए मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 25 में से 8.6 फुट गोलाई में रास्ता स्वीकृत किया जावे जिस पर सुनवाई होने के बाद आदेश से पूर्व उक्त प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में हस्तान्तरित करने के लिए श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय को अपने आदेश क्रमांक 121 दिनांक 07 अप्रेल 2017 को भेजा गया था जिस पर राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा सुनवाई करते हुए दिनांक 20.04.2017 से श्रीमान् जी के न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली पूर्णराम आदि बनाम हंसराज आदि मुकदमा नम्बर 256/2015 की पत्रावली को आगामी पेश तक स्थगित कर लिया गया है। विचाराधीन प्रकरण मे अन्तिम निर्णय पारित नहीं करे। इस प्रकार पूर्व में चल रही पत्रावली में अभी तक कोई निस्तारण नहीं हुआ है। जब तक पूर्व की पत्रावली में रास्ता के सम्बन्ध में कोई निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक एक ही अनुतोष के सम्बन्ध में बाद में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं रह जाता है जो कि सबज्यूडिश की परिभाषा में आता है। प्रार्थी द्वारा जानबूझ कर तथ्यों को छुपाते हुए उसी सम्पत्ति तथा एक ही अनुतोष को लेकर यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है जो विधि विरूद्ध है।

दोनों ही प्रार्थना पत्रों में सम्पत्ति भी एक समान है ताकि दोनों ही प्रार्थना पत्रों में एक जैसा अनुतोष चाहा गया है जिस कारण कानूनन बाद में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध है। बाद में प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र की कार्यवाही को स्थगित किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही स्थगित रखे जाने के आदेश फरमाये जावे।

–:: आदेश ::–

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली के तथ्यों एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित प्रकरण मुंतकीली प्रार्थना पत्र से उपखण्ड अधिकारी राजस्व सादुलशहर में मुंतकील किया गया है और उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), सादुलशहर में विचाराधीन है। उक्त प्रकरण पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपने आदेश मुंतकिली /17ए/श्रीगंगानगर/2017/2049 दिनांक 20.04.2017

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

हंसराज बनाम पूर्णराम में आगामी पेश तक विचाराधीन प्रकरण में अन्तिम निर्णय पारित नहीं किये जाने के आदेश हैं।

हस्तगत प्रकरण एवं कार्यवाही स्थगित प्रकरण समान प्रकृति के हैं एवं एक ही भूमि में से एक ही चक, मुरब्बा, किला में से रास्ता चाहा गया है। दोनों ही प्रार्थना पत्रों में सम्पत्ति भी एक समान है ताकि दोनों ही प्रार्थना पत्रों में एक जैसा अनुतोष चाहा गया है जिस कारण कानूनन बाद में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध है जिसके कारण एक ही अनुतोष के दो प्रकरणों का विचारण एक साथ नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिंनाक 28.11.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर